कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2016 तक, भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 607 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) थे। इनमें 410 सरकारी कंपनियां, 191 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां तथा छः सांविधिक निगम शामिल थे। यह रिपोर्ट 384 सरकारी कंपनियों तथा निगमों (छः सांविधिक निगमों सहित) और 170 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की चर्चा करती है। तिरपन सीपीएसईज़ (21 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से लंबित थे या जो निष्क्रिय/परिसमापन के अंतर्गत थी, या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या बकाया नहीं थे, को इस प्रतिवेदन में कवर नहीं किया गया है।

[पैरा 1.1.3]

सरकारी निवेश

384 सरकारी कंपनियों तथा निगमों के लेखाओं ने दर्शाया कि भारत सरकार (जीओआई) ने उनकी शेयर पूंजी में ₹ 2,96,061 करोड़ का निवेश किया था तथा 31 मार्च 2016 तक ₹ 78,609 करोड़ के ऋण बकाया थे। पिछले वर्ष की तुलना में, भारत सरकार द्वारा सीपीएसईज की इक्विटी में निवेश ने ₹ 27,692 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की तथा उनको दिए गए ऋण 2015-16 के दौरान ₹ 12,992 करोड़ तक बढ़ गए। वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत सरकार ने विनिवेश पर ₹ 41,000 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति ₹ 24,311 करोड़ की उगाही की।

[पैरा 1.2.1 और 1.2.1.2]

बाजार पूंजीकरण

46 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (चार सहायक कंपनियों सहित) जिन्होंने 2015-16 के दौरान व्यापार किया था, के शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2016 तक ₹ 11,06,539 करोड़ था। 42 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (चार सहायक कंपनियों को छोड़कर) में भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च 2016 तक ₹ 7,48,881 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

निवेश पर प्रतिफल

197 सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा 2015-16 के दौरान अर्जित कुल लाभ ₹ 1,36,695 करोड़ था, जिसका 72.75 *प्रतिशत* (₹ 99,437 करोड़) तीन क्षेत्रों अर्थात पेट्रोलियम, कोयला एवं लिग्नाइट तथा विद्युत के अंतर्गत 47 सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा दिया गया था।

[पैरा 1.3.1]

एक सौ छः सरकारी कंपनियों तथा निगमों ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 71,887 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्ति योग्य लाभांश ₹ 41,185 करोड़ का था, जिसने सभी सरकारी कंपनियों तथा निगमों में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश (₹ 2,96,061 करोड़) पर 13.91 *प्रतिशत* प्रतिफल प्रस्तुत किया।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत 13 सरकारी कंपनियों ने सभी सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 23.05 *प्रतिशत* प्रस्तुत करते हुए ₹ 16,570 करोड़ का योगदान दिया।

37 सीपीएसईज द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकार के निर्देश के अननुपालन के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश के भुगतान में ₹ 9,011 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

निवल परिसंपत्ति/संचित हानि

संचित हानि वाली 174 सरकारी कंपनियों तथा निगमों में से, 67 कंपनियों का निवल मूल्य उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। परिणामस्वरूप, इन कंपनियों का कुल निवल परिसंपत्ति 31 मार्च 2016 तक ₹ 79,227 करोड़ की सीमा तक नकारात्मक हो गया था। 2015-16 के दौरान 67 कंपनियों में से केवल छः कंपनियों ने ₹ 456.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

[पैरा 1.4.1]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

601 सीपीएसईज (छः निगमों का छोड़कर) में से, वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखे 502 सीपीएसईज से समय पर (अर्थात 30 सितम्बर 2016) तक प्राप्त कर लिए थे। इनमें से, 312 सीपीएसईज के लेखे लेखापरीक्षा में समीक्षित किए गए थे।

[पैरा 2.3.2 और 2.5.2]

वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सीएजी ने सर्वसम्मति के आधार पर सीपीएसईज के लेखाओं की तीन चरणीय प्रणाली को प्रारंभ किया। इसके कारण उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। वर्ष 2015-16 के लिए 87 सीपीएसईज में तीन चरणीय लेखापरीक्षा का लाभकारिता पर ₹ 9,429.71 करोड़ तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 25,505.39 करोड़ का निवल प्रभाव पड़ा।

[पैरा 2.5.1]

लेखाकंन मानकों से विचलन

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन मानकों के प्रावधानों से विचलन सांविधिक लेखापरीक्षको द्वारा 14 सरकारी कंपनियों में देखा गया था। सीएजी ने 14 अन्य सरकारी कंपनियों में ऐसे विचलनों को भी दर्शाया।

[पैरा 2.6]

प्रबंधन पत्र

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों तथा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताएं तथा कमियां सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से 131 सीपीएसईज के प्रबंधन को सूचित कर दिया गया था।

[पैरा 2.7]

III. निगमित अभिशासन

यह अध्याय विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 48 सूचीबद्ध सीपीएसईज को कवर करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान, डीपीई दिशानिर्देश, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियमन बोर्ड के निगमित अभिशासन से संबंधित विनियमों का कुछ सीपीएसईज द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है हालांकि अनिवार्य है। वर्ष के दौरान, निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- 16 सीपीएसईज में गैर कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के 50 *प्रतिशत* से कम थे। 17 सीपीएसईज के बोर्ड मे कोई महिला निदेशक नहीं थी।

[पैरा 3.2.1 और 3.2.3]

- 33 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशक का प्रतिनिधित्व उपयुक्त नहीं था। 13 सीपीएसईज के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

[पैरा 3.2.2]

- स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन 16 सीपीएसईज में निदेशक मंडल द्वारा नहीं किया गया था।

[पैरा 3.3.8]

- 18 सीपीएसईज में, स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद समय पर नहीं भरे गए थे। 9 सीपीएसईज मे रिक्त पद समय पर नहीं भरे गए।

[पैरा 3.5]

- तीन सीपीएसईज में कोई चेतानवी तंत्र नहीं था। छः सीपीएसईज में लेखापरीक्षा समिति ने चेतावनी तंत्र की समीक्षा नहीं की थी।

[पैरा 3.8.1 और 3.8.2]

IV. निगमित सामाजिक दायित्व

समीक्षा 24 मंत्रालय/विभागों के प्रशासिनिक नियंत्रण के अंतर्गत 76 सीपीएसईज (सात महारत्न, 17 नवरत्न तथा 52 मिनिरत्न श्रेणी-1) को कवर किया था। 31 मार्च 2016 को समाप्त एक वर्ष की अवधि समीक्षा के दौरान कवर की गई थी। समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां की गई थी:

- चार सीपीएसईज ने बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर समिति का गठन प्रकट नहीं किया था। योग्य सीपीएसईज में से तीन सीपीएसईज के पास समिति में स्वतंत्र निदेशक नहीं था। आठ सीपीएसईज ने या तो सीएसआर अथवा स्थिरता नीति नहीं बनाई या सीपीएसई की नीति को बोर्ड द्वारा यथायोग्य अनुमोदित नहीं किया गया।

[पैरा 4.4.1.1, 4.4.1.2 और 4.4.1.3]

- चार सीपीएसईज ने सीएसआर व्यय के लिए बजट के प्रति तीन तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा बनाए गए औसत निवल लाभों की कम से कम दो प्रतिशत निर्धारित राशि आवंटित नहीं की थी।

[पैरा 4.4.2]

- इक्कीस सीपीएसईज ने सीएसआर आवंटन निधि से वास्तविक व्यय से संबंधित सूचना का रखरखाव नहीं किया था। दो सीसीएसईज ने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निर्धारित राशि खर्च नहीं करने के लिए कारणों पर विचार नहीं किया था।

[पैरा 4.4.2]

- अधिकांश सीपीएसईज ने शिक्षा तथा कौशल, स्वास्थ्य सेवा तथा गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण तथा ग्रामीण विकास को सीएसआर के लिए उनके महत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया था। प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन, सशक्त सेनाएं तथा प्रधानमंत्री राहत कोष पर ध्यान कम था। पाँच सीपीएसईज ने प्रचालन के स्थानीय क्षेत्र को वरीयता नहीं दी थी। 38 सीपीएसईज के क्षमता निर्माण पर व्यय कुल सीएसआर व्यय के पाँच प्रतिशत की सीमा से अधिक था। 11 सीपीएसईज मे कोई निगरानी तंत्र स्थापित नहीं था।

[पैरा 4.4.3.2, 4.4.3.4, 4.4.3.5 और 4.4.4.2]

- दो सीपीएसईज ने उनके बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल नहीं की थी। पूर्ण परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए प्रभावी निर्धारण 19 सीपीएसईज के मामले में नहीं किया गया था।

[पैरा 4.4.5.2 और 4..4.6]

v. प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सीपीएसईज के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम एंव प्राकृतक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय तथा भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सात 'महारत्न' सीपीएसईज के एमओयू की समीक्षा की। समीक्षा में निम्नलिखित महत्व अभ्युक्तियां की गई:

- ड्राफ्ट एमओयू के साथ वार्षिक योजना/वार्षिक बजट/निगम योजना को प्रस्तुत न करने तथा एमओयू लक्ष्यों के साथ योजना का संरेखण न करने के उदाहरण तीन सीपीएसईज में देखे गए थे।

[पैरा 5.7.1.2]

- दो सीपीएसईज के मामले में, अंतिम एमओयूज के हस्ताक्षर करने में देरी हुई थी।

[पैरा 5.7.1.3]

- डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में प्रावधान की तुलना में राष्ट्रीय तथा वैश्विक समकक्षों के साथ बेंचमार्किंग दो सीपीएसईज द्वारा नहीं की गई थी। दो सीपीएसईज के मामले में, निश्चित किए गए लक्ष्य पिछले वर्ष की उपलब्धि से कम थे।

[पैरा 5.7.2.1 और 5.7.2.2]

- 'बिक्री टर्नओवर', 'बिक्री टर्नओवर/नेट ब्लॉक', 'सकल प्रचालन अंतर', 'कर पश्चात लाभ/निवल मूल्य' इत्यादि जैसे वित्तीय पैरामीटरों के प्रति बढ़े हुए वित्तीय निष्पादन की रिपोर्टिंग एक सीपीएसई के द्वारा बिक्री टर्नओवर में माने गए सृजन के अन्तर्वेशनक कारण देखी गई थी।

[पैरा 5.7.5.1]

- लेखापरीक्षा ने एक सीपीएसई द्वारा स्व मूल्यांकन रिपोर्ट में गलत सूचना प्रस्तुत करना तथा/या एमएसएमई दिशानिर्देशों के अनुपालन में दो सीपीएसईज द्वारा अपूर्ण प्रमाणन भी देखा गया था। तीन सीपीएसईज ने डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।

[पैरा 5.7.6.1, 5.7.6.2 और 5.7.6.3]